बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), नियोजन भवन, बिहार, पटना

पत्र संख्या–टी–3/भवन किराया–01/2017– पटना, दिनांक –

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ,
बिहार, पटना।

विषयः– औ0 प्र0 संस्थान, बनमनखी (पूर्णिया) के लिए श्रीमती मीरा देवी, पति–श्री राकेश कुमार भगत, सा0+पो0–धरहरा, थाना–बनमनखी, जिला–पूर्णिया के निजी मकान को दिनांक–01.04.2017 से एग्रीमेंट अवधि तक अथवा सरकारी भवन उपलब्ध होने तक (दोनो में जो पहले घटित हो) निर्धारित समुचित कुल रूपया 25,100/– (पच्चीस हजार एक सौ रूपये) मात्र मासिक किराये पर रखने की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

2– मंत्रिमंडल सचिवालय (प्रशासनिक सुधार शाखा) के संकल्प संख्या–4761 दिनांक 28 अक्टुबर, 1971 के साथ पठित संकल्प संख्या–62 (प्र0सु0) दिनांक 9 सितम्बर, 1974 द्वारा विभागीय/विभागाध्यक्षो को प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार स्वीकृत्यादेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

3– यह व्यय आय व्ययक शीर्ष मुख्य शीर्ष–2230 श्रम तथा रोजगार, उपमुख्य शीर्ष 03–प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 003–शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, मांग संख्या–26, उपशीर्ष–0118 नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, विपत्र कोड–P 2230030030118 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बनमनखी (पूर्णिया) होंगे।

5– राशि की निकासी जिला कोषागार, पूर्णिया से की जायेगी।

6– प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या टी–3/भवन किराया–01/2017 के पृष्ट–09/टि0 पर प्राप्त है।

7– प्रस्ताव में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक–टी–3/भवन किराया–01/2017– पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि– जिला कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियां को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक–टी–3/भवन किराया–01/2017– पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (आय व्ययक शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक–टी–3/भवन किराया–01/2017– पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि– प्राचार्य, औ0 प्र0 संस्थान, बनमनखी (पूर्णिया)/श्रीमती मीरा देवी, पति–श्री राकेश कुमार भगत, सा0 +पो0– धरहरा, थाना–बनमनखी, जिला–पूर्णिया/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2– उपर्युक्त स्वीकृत्यादेश के आधार पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बजट उपबंध रहने पर मकान के किराये का भुगतान करते रहेंगे। इसके लिए प्रतिवर्ष स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, परन्तु भुगतान करने के पूर्व कार्यापालक अभियन्ता भवन निर्माण विभाग से भवन अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में प्राप्त कर लेना होगा, जो बिहार वित्त नियमावली खण्ड–2 के परिशिष्ट –5 के अनुबंध "क" के मद संख्या 22 के प्रावधानों के अनुसार हरेक वर्ष प्रथम भार के साथ संलग्न किया जायेगा।

3– किराये में वृद्धि एवं भवन परिवर्त्तन के हालत में किराये की स्वीकृति में पुनः सरकार का आदेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

ह0/–
संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक–टी–3/भवन किराया–01/2017– 657 पटना, दिनांक – 09/3/2017.

प्रतिलपि–बजट शाखा/मासिक व्यय विवरणी शाखा/भवन शाखा निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

08/3/17

संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।